न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 532 सन 2022

अनवान :–

1. अनमोलप्रित सिह पुत्र गुरप्यारसिह नाबालिग जरिये माता जसप्रीतकोर पत्नी गुरप्यारसिह जाति जटसिख निवासी मोघुवाली ढाणी हाल बुचो मण्डी जिला भटिण्डा पजांब ।
2. आकाशदीप सिह पुत्र गुरप्यारसिह जाति जटसिख निवासी मोघुवाली ढाणी हाल बुचो मण्डी जिला भटिण्डा पंजाब

वादी

बनाम

1. सुरजीतकौर पत्नी धन्नसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोघुवाली तहसील नोहर
2. मन्दरसिह पुत्र धन्नसिह जाति जटसिख निवासी चैनेवाला तहसील सरदूलगढ जिला मानसा पंजाब
3. जलकौर पुत्री धन्नसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोघुवाली तहसील नोहर
4. मनदीप कौर पुत्री धन्नसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोघुवाली तहसील नोहर
5. जयप्रीत कौर पत्नी गुरप्यार सिह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोघुवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 11/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खात संख्या 51/51 की कुल 6.3250हैक भूमि में से 7907/31625 हिस्सा धनसिह पुत्र बाघसिह एव 7906/31625 हिस्सा जगरूपसिह पुत्र बाघसिह के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धनसिह पुत्र बाघसिह व जगरूपसिह पुत्र बाघसिह के नाम से दर्ज है धनसिह पुत्र बाघसिह ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत दिनांक 16.09.2010 को अपनी पत्नी सुरजीतकौर एवं पुत्र मन्दरसिह व गुरप्यारसिह के नाम से करवाई गई थी धनसिह पुत्र बाघसिह का दिनांक 03.07.2014 को देहान्त हो चुका है इसीप्रकार जगरूपसिह उर्फ रूपसिह ने भी अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत दिनांक 24.09.1997 को अपनी भतीजो गुरप्यारसिह एवं मन्दरसिह के पक्ष में करवाई गई थी एव जगरूपसिह उर्फ रूपसिह का देहान्त दिनांक 31.03.2020 को हो चुका है।

धनसिह पुत्र बाघसिह व जगरूपसिह पुत्र बाघसिह ने अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत मन्दरसिह व गुरप्यारसिह के पक्ष में करवाई गई थी धनसिह पुत्र बाघसिह व जगरूपसिह पुत्र बाघसिह को देहान्त हो चुका है इसयिये धनसिह पुत्र बाघसिह व जगरूपसिह पुत्र बाघसिह के हक हिस्सा की वसीयत के अनुसार मन्दरसिह एवं गुरप्यारसिह पाने के अधिकारी है।

धनसिह पत्नी बाघसिह एव गुरप्यारसिह पुत्र बाघसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो धनसिह एवं गुरप्यारसिह के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है इसप्रकार धनसिह पुत्र बाघसिह एव जगरूपसिह पुत्र बाघसिह की वसीयत के अनुसार अपने नाम दर्ज भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की दादी एवं धनसिह की पत्नी है प्रतिवादी संख्या 3 वादीगण की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 2 की बहन है प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

Scanned with CamScanner

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की धनसिह पुत्र बाघसिह व जगरूपसिह पुत्र बाघसिह के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धनसिह पुत्र बाघसिह व जगरूपसिह पुत्र बाघसिह के नाम से दर्ज है जिन्होने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्से की भूमि की वसीयत अपने पुत्रो/ भतीजो के पक्ष मे करवाई गई थी धनसिह पुत्र बाघसिह व जगरूपसिह पुत्र बाघसिह को देहान्त हो चुका है जिनकी वसीयत के अनुसार पत्नी सरजीतकौर एव पुत्र मन्दरसिह व गुरप्यारसिह के हक हिस्सा की भूमि है गुरप्यारसिह का भी देहान्त हो चुका है इसप्रकार वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण की दादी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादीगण की बहने /बुआ है प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य मे वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खात संख्या 51/51 की कुल 6.3250हैक भूमि में से 7907/31625 हिस्सा धनसिह पुत्र बाघसिह एव 7906/31625 हिस्सा जगरूपसिह पुत्र बाघसिह के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धनसिह पुत्र बाघसिह व जगरूपसिह पुत्र बाघसिह के नाम से दर्ज है धनसिह पुत्र बाघसिह ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत दिनांक 16.09.2010 को अपनी पत्नी सुरजीतकौर एवं पुत्र मन्दरसिह व गुरप्यारसिह के नाम से करवाई गई थी धनसिह पुत्र बाघसिह का दिनांक 03.07.2014 को देहान्त हो चुका है इसीप्रकार जगरूपसिह उर्फ रूपसिह ने भी अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत दिनांक 24.09.1997 को अपनी भतीजो गुरप्यारसिह एवं मन्दरसिह के पक्ष में करवाई गई थी एव जगरूपसिह उर्फ रूपसिह का देहान्त दिनांक 31.03.2020 को हो चुका है।

धनसिह पुत्र बाघसिह व जगरूपसिह पुत्र बाघसिह ने अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत मन्दरसिह व गुरप्यारसिह के पक्ष में करवाई गई थी धनसिह पुत्र बाघसिह व जगरूपसिह पुत्र बाघसिह को देहान्त हो चुका है इसायिये धनसिह पुत्र बाघसिह व जगरूपसिह पुत्र बाघसिह के हक हिस्सा की वसीयत के अनुसार मन्दरसिह एवं गुरप्यारसिह पाने के अधिकारी है।

धनसिह पत्नी बाघसिह एव गुरप्यारसिह पुत्र बाघसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो धनसिह एवं गुरप्यारसिह के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है इसप्रकार धनसिह पुत्र बाघसिह एव जगरूपसिह पुत्र बाघसिह की वसीयत के अनुसार अपने नाम दर्ज भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की दादी एवं धनसिह की पत्नी है प्रतिवादी संख्या 3 वादीगण की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 2 की बहन है प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि

Scanned with CamScanner

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का समान का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है।

वादी के दावे को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अतः वादी के दावे के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1998 पेज 602 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 648 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति / रजामंदी के आधार पर अपने हकों का स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेशकार राज ने निवेदन किया की वादी ने हस्तान्तरण / पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 51/51 की कुल 6.3250हैक भूमि में से 7907/31625 हिस्सा धर्मसिंह पुत्र बाघसिंह एवं 7906/31625 हिस्सा जगरूपसिंह पुत्र बाघसिंह के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि धर्मसिंह पुत्र बाघसिंह व जगरूपसिंह पुत्र बाघसिंह के नाम से दर्ज है जिन्होंने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्से की भूमि की वसीयत अपने पुत्रों / भतीजों के पक्ष में करवाई गई थी धर्मसिंह पुत्र बाघसिंह व जगरूपसिंह पुत्र बाघसिंह को देहान्त हो चुका है जिनकी वसीयत के अनुसार पत्नी मनजीतकौर एवं पुत्र मन्दरसिंह व गुरप्यारसिंह के हक हिस्सा की भूमि है गुरप्यारसिंह का भी देहान्त हो चुका है इसप्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेशकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 51/51 की कुल 6.3250हैक भूमि में से 7907/31625 हिस्सा धर्मसिह पुत्र बाघसिह एवं 7906/31625 हिस्सा जगरूपसिह पुत्र बाघसिह के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ,2 प्रत्येक 7907/63250 हिस्सा तथा 7906/31625 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. अनमोलप्रित सिह पुत्र गुरप्यारसिह नाबालिग जरिये माता जसप्रीतकौर पत्नी गुरप्यारसिह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली ढाणी हाल बुचो मण्डी जिला भटिण्डा पजाब ।
2. आकाशदीप सिह पुत्र गुरप्यारसिह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली ढाणी हाल बुचो मण्डी जिला भटिण्डा पंजाब

वादी

बनाम

1. सुरजीतकौर पत्नी धन्नसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर
2. मन्दरसिह पुत्र धन्नसिह जाति जटसिख निवासी चैनेवाला तहसील सरदूलगढ जिला मानसा पंजाब
3. जलकौर पुत्री धन्नसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर
4. मनदीप कौर पुत्री धन्नसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर
5. जयपीत कौर पत्नी गुरप्यार सिह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 532 सन 2022 निर्णय दिनांक– 11/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष धिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने र वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के ारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन खात संख्या 51/51 की कुल 6.3250हैक भूमि में से 7907/31625 हिस्सा धनसिह पुत्र धसिह एव 7906/31625 हिस्सा जगरूपसिह पुत्र बाधसिह के नाम सें दर्ज है का नाम लमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ,2 प्रत्येक 7907/63250 हिस्सा तथा 906/31625 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है सी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू ा स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त ाजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी ी गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner